फर्द अहकाम

(नियम 18)

मय

अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर बनाम मेसर्स ओम मोटर्स

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

मु० नम्बर 12 सन 2022

CCMS 2022/75

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..1/2022	यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री राधेश्याम गर्ग प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर ने ऋणी बंधक कर्ता संख्या मेसर्स ओम मोटर्स प्रो. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल , छोटी रेलवे लाइन के पास, काली माई रोड , धौलपुर (राज.) 328001 ऋणी 2. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल मार्फत प्रो. मेसर्स - ओम मोटर्स, छोटी रेलवे लाइन के पास, काली माई रोड धौलपुर (राज.) 328001 ऋणी के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर ने ऋणी अप्रार्थी को दिनांक 22.07.2015 को 1500000/- रूपये एवं 14.05.18 को 3419000/- रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम आवासीय प्लाट न. 5ए, (पुराना प्लाट न. 01ए) छोटी रेलवे लाइन क्रोसिंग के पास, काली माई मंदिर के पास, धौलपुर (राज.) स्थित भूमि व निर्मित भवन, जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 33.05 वर्ग गज है व जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व में प्लाट न. 1, पश्चिम में रास्ता 10 फीट चौड़ा , उत्तर में प्लाट न. 2 ए , दक्षिण में रास्ता 20 फीट चौड़ा है । 2. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम आवासीय प्लाट न. 5 बी , (पुराना प्लाट न. 2 ए) छोटी रेलवे लाइन क्रोसिंग के पास, काली माई मंदिर के पास धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन, जिसका क्षेत्रफल बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 33.05 वर्ग गज है व जिसकी सीमाएं निम्न हैं : पूर्व में प्लाट न. 2, पश्चिम में रास्ता 10 फिट चौडा, उत्तर में - प्लाट न. 3 ए व 5 सी , दक्षिण में - प्लाट न. 1 ए व 5 ए है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर द्वारा दिनांक 31.10.2020 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 27.10.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3601610 /- रुपये (छत्तीस लाख एक	

हजार छः सौ दस रुपये मात्र) दिनांक 27.10.2021 तक एवं दिनांक 27.10.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में ऋण राशि अदा करने में असफल रहे। अतः प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर द्वारा अपने पास बंधक रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया | पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो | ऋणी /बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम आवासीय प्लाट न. 5ए, (पुराना प्लाट न. 01ए) छोटी रेलवे लाइन क्रोसिंग के पास, काली माई मंदिर के पास, धौलपुर (राज.) स्थित भूमि व निर्मित भवन, जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 33.05 वर्ग गज है व जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व में प्लाट न. 1, पश्चिम में रास्ता 10 फीट चौड़ा , उत्तर में प्लाट न. 2 ए , दक्षिण में रास्ता 20 फीट चौड़ा है | 2. श्री रवि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम आवासीय प्लाट न. 5 बी , (पुराना प्लाट न. 2 ए) छोटी रेलवे लाइन क्रोसिंग के पास, काली माई मंदिर के पास धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन, जिसका क्षेत्रफल बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 33.05 वर्ग गज है व जिसकी सीमाएं निम्न हैं : पूर्व में प्लाट न. 2, पश्चिम में रास्ता 10 फिट चौडा, उत्तर में - प्लाट न. 3 ए व 5 सी , दक्षिण में - प्लाट न. 1 ए व 5 ए है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा SARB जवाहर नगर जयपुर को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे | पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | प्रकरण नम्बर से कम किया जावे |

आदेश आज दिनांक 23/11/22 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट